

एआईसीटी के पत्र कमांक 1.101/DPG/aicte/Ombudsman/2012 दिनांक 9.7.2012 के अनुसार तथा भारत का राजपत्र नई दिल्ली दिनांक 25.5.2012 में प्रकाशित अधिसूचना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (शिकायत निवारणों के लिये तंत्र की स्थापना)विनियम-2012 के प्रावधान अनुसार संस्था में प्रवेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा अनुचित कार्यों को रोकने के लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय करने एवं निर्दोष विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के तंत्र इस संस्था में उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की एक शिकायत कमेटी(Grievance Redressal Committee) का गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सदस्य	मोबाईल नं०
1.	श्री आनन्द जैन, प्रधानाचार्य	अध्यक्ष 94609-17910
2	श्री रमेश धानक प्रवक्ता कम्प्युटर	सदस्य सचिव 95090.83627
3	श्रीमती दीपिका कुमारी प्रवक्ता यांत्रिकी	सदस्य 74138-07540
4	श्री हनुमान प्रसाद विभागाध्यक्ष यांत्रिकी	सदस्य 96495-55054
5	श्री नितिन कुमार जांगिड़, प्रवक्ता विद्युत	सदस्य 70623-46278
6	श्री विक्रम शर्मा प्रवक्ता यांत्रिकी	सदस्य 8107462188
7	श्री जसवंत कुमावत प्रवक्ता यांत्रिकी	सदस्य 96029-83051
8	श्री नीलम कुमार डीगवाल सहायक प्रशा. अधि.	सदस्य 8890000251
ई-मेल संस्था आई डी		
Gpc.hanumangarh@gmail.com		

उक्त गठित कमेटी द्वारा इस संबंध में प्राप्त ऐसी समस्त शिकायतों का एक स्थाई रजिस्टर में दर्ज की जावें तथा शिकायत पर की गई कार्यवाही का सक्षिप्त विवरण भी इसमें दर्ज करावें। यह समिति पीडितविद्यार्थियों द्वारा की गई निम्न शिकायतों पर विचार करेगी एवं उचित निर्णय पारित करेगी :-

- मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के विपरीत प्रवेश देना।
- संस्था द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता।
- संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश देने से इंकार करना।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा उस संस्थान में प्रवेश लेने के उद्देश्य से जमा किए गए उसके दस्तावेज जैसे डिग्री ,डिप्लोमा अथवा अन्य कोई और प्रमाण पत्र अथवा अन्य दस्तावेज को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी अन्य पाठकम अथवा कार्यक्रम में अध्ययन जारी रखने हेतु उत्प्रेरित अथवा विविश करने के उद्देश्य से रोककर रखना अथवा देने से इन्कार करना, किसी भी प्रकार के शुल्क अथवा शुल्कों को अदा करने के लिए विवश करना।
- संस्था की घोषित प्रवेश नीति में निर्दिष्ट शुल्क अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क से अधिक धनराशि की संस्था द्वारा मांग करना।
- प्रवेश में यथा लागू आरक्षण नीति का उल्लंघन।
- अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग महिला ,अल्पसंख्यक अथवा विकलांग श्रेणियों के विद्यार्थियों द्वारा की गई भेदभाव बरते जाने संबधी शिकायतें।

8. अभातशिप द्वारा अथवा किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्तियों का भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान करने में देरी करना ।
9. शैक्षणिक कैलेंडर में विनिर्दिष्ट समयानुसार परीक्षाओं के आयोजन में देरी करना अथवा परिणाम घोषित करने में देरी करना ।
10. संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली अपेक्षित अथवा विद्यार्थियों से वादा की गई सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं करवाना ।
11. प्रवेश के समय वादा की गई अथवा अपेक्षित गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने से इनकार करना ।
12. मूल्यांकन का अपारदर्शी अथवा अनुचित तरीका ।
13. यौन उत्पीडन सहित , विद्यार्थियों का उत्पीडन तथा शोषण ।
14. प्रवेश वापस लेने पर, अभातशिप द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार ,शुल्क की वापसी ।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
हनुमानगढ़ ।

क्रमांक:-रापोह/पीउ/2022-23/ 41

दिनांक:- 26/4/23

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. श्रीमान् निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर
2. संबधित श्री/सुश्री.....


प्रधानाचार्य